भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

प्रेस नोट सं. 4 (2014 श्रृंखला)

विषय: एनआईसी 1987 से बदलकर एनआईसी 2008 करना

वर्तमान प्रचलन के अनुसार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को प्रस्तुत किए जाने वाले औद्योगिक लाइसेंस/आईईएम प्रस्तावों के संबंध में क्रियाकलापों के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-1987 (एनआईसी 1987) लागू है। इसके स्थान पर एनआईसी-2008 का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जो अर्थव्यवस्था की संरचना और बनावट में आए परिवर्तनों, प्रयोक्ताओं की बदलती हुई अपेक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुसंगति को ध्यान में रखते हुए अधिक आधुनिक औद्योगिक वर्गीकरण प्रणाली उपलब्ध कराने वाला उन्नत संस्करण है। एनआईसी-2008 में उन्नयन से नए व्यवसायों को एनआईसी कोड के पिछले संस्करण की तुलना में अधिक निवेशक अनुकूल और अंतर्राष्ट्रीय रूप से सम्यक बनने में सहायता मिलेगी।

2. अब से क्रियाकलापों के वर्गीकरण के लिए एनआईसी-1987 के स्थान पर एनआईसी-2008 कोड का प्रयोग किया जाएगा, जिससे भारतीय उद्योग विश्वस्तर पर मान्य एवं स्वीकार्य वर्गीकरण को अपना सकेंगे और इससे अनुमोदन/पंजीकरण एवं वर्गीकरण संबंधी कार्य में सुगमता होगी।

3. उपर्युक्त निर्णय तत्काल प्रभावी होगा।

(शुभ्रा सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औ.नी.एवं सं.वि. फाइल सं. 7/3/2012-आईपी, दिनांक 27 जून, 2014

प्रतिलिपि: (1) प्रेस सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो को आवश्यक प्रचार हेतु।

(2) एनआईसी अनुभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को इस प्रेस नोट को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।